

विधानसभा आम चुनाव 2018

प्रारूप 21 ग

(नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के
परिणाम की घोषणा

179 – सहाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से
राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व
अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसरण में,
मैं घोषणा करता हूं कि –

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी

मु.पो. रायपुर पनगटिया तालाब रामद्वारा के पास रायपुर,
भीलवाड़ा पिन 311803

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रकृत पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गये ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए
है ।

स्थान :राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भीलवाड़ा

दिनांक : 11 दिसम्बर, 2018



(अभिषेक गोयसल)
रिटर्निंग ऑफिसर

179 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (179)
(एस.डी.ओ. & एस.डी.एम.) सहाड़ा

ASSEMBLY GENERAL ELECTION 2018
FORM-21C

(For use in General Election when seat is contested)

(See rule 64)

Declaration of the result of Election
under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

**Election to the Legislative Assembly of S-23 Rajasthan State from the
179-SAHARA Assembly Constituency.**

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the
Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of
Elections Rules, 1961.

I declare that -

SHRI KAILASH CHANDRA TRIVEDI
MU. PO. RAIPUR PANGHATIYA TALAB RAMDWARA KE PASS
RAIPUR, BHILWARA PIN 311803

Sponsored by - INDIAN NATIONAL CONGRESS
(Name of the recognised/registered political party)

has been duly elected to fill the seat in that House from the above
constituency.

Place : Govt. polytechnic College,
Bhilwara

Date : 11-12-2018



(Abhishek Goyal)
Returning Officer
179- Sahara Assembly Constituency
(SDO & SDM.), Sahara
(उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट)